न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–1, सुलतानपुर।

उपस्थित –संध्या चौधरी, एच0जे0एस0

JO Code-UP6161

****

जमानत आवेदनपत्र संख्या–1951/2026

UPST010057062026

1–नीरज वर्मा पुत्र प्रमोद वर्मा

2–अजय वर्मा पुत्र रमेश वर्मा

निवासीगण ग्राम गौराटिकरी, थाना करौंदीकला, जिला सुलतानपुर

.....प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश । .....अभियोगी

अ0सं0–85/2026
धारा–109,115(2),352,351(3) बी0एन0एस0
थाना–करौंदीकला, जिला–सुलतानपुर।

दिनांकः 25.06.2026

1. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण नीरज वर्मा एवं अजय वर्मा की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र उपरोक्त मामले में अन्तर्गत धारा 483 बी0एन0एस0एस0 प्रस्तुत किया गया है।

2. अभियोजन कथानक के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 07.06.2026 की रात लगभग 10 बजे पुरानी रंजिश को लेकर वादी के सगे भाई नीरज वर्मा व अजय वर्मा व वादी के बुआ का लड़का उदयभान वर्मा मिलकर वादी को गाली देते हुए लात घुसे वादी के पेट में बुरी तरह मारेपीटे एवं जान से मारने की नीयत से ईंट से वादी के सिर पर वार किये, जिससे वादी के सिर में गम्भीर चोट आयी है। वादी द्वारा हल्ला गोहार करने पर वादी को जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से चले गए।

3. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क रखा है कि यह कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र न तो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में और न ही किसी सक्षम न्यायालय में दिया गया है न विचाराधीन है। प्रार्थीगणस उपरोक्त मुकदमे में पूर्णतया निर्दोष है महज हैरान व परेशान करने की नीयत से झूठे फंसाये गये हैं। प्रार्थीगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और न ही किसी मुकदमे में दोषसिद्ध ही किया गया है। कथित वादी मुकदमा व चोटहिल द्वारा गम्भीर चोट आने का उल्लेख प्राथमिकी में किया गया है, जबकि डॉक्टरी मुआयना तीसरे दिन करवाया है। वादी मुकदमा/चोटहिल शराब पीने का अभ्यस्त व्यक्ति है। प्रार्थीगण द्वारा वादी मुकदमा को मारापीटा

नहीं गया है न ही उसके चाल चलन व व्यवहार के कारण प्रार्थीगण उससे कोई वास्ता सरोकार ही रखते हैं। तथाकथित घटना का कोई स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष साक्षी नहीं है। इन्हीं कथनों के साथ प्रार्थीगण/अभियुक्तगण जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

4. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने जमानत का विरोध करते हुए तर्क रखा है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण जमानत पर रिहा किये जाने योग्य नहीं है।

5. जमानत प्रार्थना पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपपत्रों का अवलोकन किया।

6. उल्लेखनीय है कि वादी मुकदमा धीरज वर्मा के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियुक्तगण नीरज वर्मा आदि के विरूद्ध पंजीकृत करायी गयी है। प्रार्थीगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्त है। चोटहिल के चिकित्सीय प्रपत्र पत्रावली पर संलग्न है। चिकित्सीय प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि चोटहिल धीरज वर्मा के शरीर पर कुल 9 चोटें पायी गयी, जिसमें से चोट सं0 6 व 7 साधारण प्रकृति की थी और शेष चोटें केयूओ उल्लिखित है। अभियोजन के द्वारा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का कोई अन्य आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनांक 12.06.2026 से जिला कारागार सुलतानपुर में निरूद्ध है। प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना प्रचलित है। अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अपराध की प्रकृति तथा अपराध में अभियुक्तगण की संलिप्तता, चोटहिलों के शरीर पर आयी चोटों की प्रकृति इत्यादि को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत मामले के गुण–दोष पर बिना कोई निष्कर्ष दिये हुए अभियुक्तगण को जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त है। तदनुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

7. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण नीरज वर्मा एवं अजय वर्मा का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा मु0 70,000/–रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व इसी धनराशि की दो–दो विश्वसनीय प्रतिभू निष्पादित करने पर सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

sd/-

दिनांक 25.06.2026

(संध्या चौधरी)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–1, सुलतानपुर।

रोहित कुमार,
आशुलिपिक